

न्यायालय : सुश्री मधुलिका मुले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना (म.प्र.)

क्रमांक/1733/2025

जिला गुना, दिनांक 08.12.2025

— :: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह जनवरी+फरवरी 2026 ::—

माह जनवरी+फरवरी 2026 के अधोलिखित सार्वजनिक अवकाशों में गुना जिला एवं आरोग्य, राधौगढ, वांचौड़ा तहसील न्यायिक स्थापना पर अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की रिमाण्ड ड्यूटी नियत की जाती है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निम्नानुसार सार्वजनिक अवकाश दिवस को **दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे** के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी।

— :: जिला न्यायिक स्थापना—गुना ::—



न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह जनवरी 2026	माह फरवरी 2026
1 श्री डालचंद	17-01-2026 18-01-2026	-
2 श्री सुरेश बारगीया	11-01-2026	07-02-2026
3 श्री चेतन बजाड़	01-01-2026	08-02-2026
4 श्री राजकुमार तोरगिया	26-01-2026	21-02-2026
5 श्रीमती श्रुति चौहान	04-01-2026	22-02-2026
6 श्री यश दुबे	25-01-2026	01-02-2026
7 सुश्री आयुषी मिश्रा	03-01-2026	15-02-2026



— ::तहसील न्यायिक स्थापना-आरोन ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह जनवरी 2026	माह फरवरी 2026
1	श्री बुदे सिंह सोलंकी	01-01-2026 03-01-2026 04-01-2026 11-01-2026 17-01-2026 18-01-2026 25-01-2026 26-01-2026	01-02-2026 07-02-2026 08-02-2026 15-02-2026 21-02-2026 22-02-2026

— ::तहसील न्यायिक स्थापना-राघौगढ ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह जनवरी 2026	माह फरवरी 2026
1	श्री संजीव पिपलादिया	17-01-2026 18-01-2026	07-02-2026 08-02-2026
2	श्री आशीष शर्मा	03-01-2026 04-01-2026 25-01-2026 26-01-2026	01-02-2026
3	श्री रवि तंवर	01-01-2026 11-01-2026	15-02-2026 21-02-2026 22-02-2026

— ::तहसील न्यायिक स्थापना-चांचौडा ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह जनवरी 2026	माह फरवरी 2026
1	सुश्री प्रियम सेन	03-01-2026 04-01-2026 25-01-2026 26-01-2026	01-02-2026 21-02-2026 22-02-2026
2	श्रीमती डिम्पल कश्यप	01-01-2026 11-01-2026 17-01-2026 18-01-2026	07-02-2026 08-02-2026 15-02-2026

सामान्य नोट—

- 1— माह जनवरी+फरवरी 2026 के उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त अन्य किसी दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित होने अथवा रिमांड ड्यूटी हेतु नियुक्ति मजिस्ट्रेट के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत होने अथवा स्थानांतरित होने की दशा में गुना, वांवौड़ा स्थापना पर उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन **माह जनवरी एवं फरवरी 2026** क्रमशः सुश्री आयुषी मित्तल/श्री रवि तंवर/सुश्री प्रियम सेन द्वारा किया जावेगा।
- 2— आरोन स्थापना पर पदस्थ मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में जिला मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।
- 3— उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड परिवर्तित/समाप्त कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति प्रेषित किये जाने पर, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरान्त उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी परिवर्तित की जा सकेगी।
- 4— सार्वजनिक अवकाश अवधि में न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दिये जाने का आवेदन प्रेषित करते समय आवेदन में उक्त सार्वजनिक अवकाश में उनकी रिमांड ड्यूटी नियत होने या न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 5— सार्वजनिक अवकाश दिवस में रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक कार्य का संपादन किया जाता है। अतः रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायिक कार्य हेतु गरिमा अनुरूप उचित गणवेश रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान धारित करेंगे।
- 6— समस्त थाना प्रभारी/अनुसंधानकर्ताओं अगियुक्तागण की गिरफ्तारी से विहित 24 घंटे की समयावधि का अवसान रिमांड ड्यूटी हेतु नियत समय 03.00 बजे के पूर्व समाप्त होने की दशा में उक्त दिनांक को रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायालय के निष्पादक लिपिक से अविलंब संपर्क कर निष्पादक लिपिक के माध्यम से रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट को अवगत कराना तथा रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार रिमांड संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

विशेष :- यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना के आदेश के अधीन प्रभावशील रहेगा।

अनुमोदित
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म.प्र.)

(कु. मधुलिका मुले)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 गुना (म.प्र.)

पृ.क. : 15/2025

गुना, दिनांक 08.12.2025

प्रतिलिपि :- (ईमेल-मेसेज द्वारा)

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना/आरोन/राघौगढ़/वांवौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- जिला/सहायक अभियोजन अधिकारी, गुना/आरोन/राघौगढ़/वांवौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, गुना/आरोन/राघौगढ़/वांवौड़ा की ओर सूचनार्थ।
- 5- नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग गुना/आरोन/राघौगढ़/वांवौड़ा की ओर सूचनार्थ।
- 6- पुलिस अधीक्षक, गुना की ओर समस्त थाना प्रभारियों को संसूचित करने बावत्।
- 7- जेल अधीक्षक जिला गुना, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 8- सिरटम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक न्यायिक स्थापना गुना/आरोन/राघौगढ़/वांवौड़ा की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई मेल/मेसेज के माध्यम से संबंधितों को प्रेषित किये जाने हेतु।


(कु. मधुलिका मुले)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 गुना (म.प्र.)

